सत्यमेव जयते

राजस्थान शासन

आय–व्ययक अनुमान 2014–2015

लोक ऋण, कर्ज तथा उधार, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा

खण्ड : 3 ब

प्रस्तावना

इस पुस्तक–**खण्ड 3 ब** में लोक ऋण, कर्ज तथा उधार, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की प्राप्तियों व व्ययों को प्रस्तुत किया गया है। इनके अन्तर्गत प्रत्येक का शीर्षवार प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ एवं वितरण तथा अंतिम शेष की राशियां प्रदर्शित की गई हैं।

'लोक ऋण' के अन्तर्गत राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, केन्द्रीय सरकार से कर्ज एवं अग्रिम को सम्मिलित किया जाता है।

'कर्ज तथा उधार' के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण व केन्द्रीय सरकार के उपरोक्त कर्ज के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न विभागों के विशिष्ट क्रिया–कलापों के क्रियान्वयन हेतु लिए गए कर्ज तथा उधार, सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज तथा उधार एवं विविघ कर्ज सम्मिलित किए गए हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अधीन स्थापित '**राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम 1956**' के अन्तर्गत प्रावधित राशि को भी इस पुस्तक में दर्शाया गया है।

'लोक लेखा' के अन्तर्गत भविष्य निधि, राज्य बीमा एवं पेंशन निधि, अन्य आरक्षित निधियाँ, निक्षेप (जमा) एवं अग्रिम, उचन्त एवं प्रेषण के अन्तर्गत प्रस्तावित राशियों को सम्मिलित किया गया है। इन मदों के अधीन हुए लेन–देन के तहत प्राप्त धन को राज्य सरकार वापस करने का दायित्व लेती है अथवा अदा की गई राशियों को वसूल करने का अधिकार रखती है।

'उचन्त एवं प्रेषण' से सम्बन्धित मद वे मद हैं जो समायोजन मद कहलाते हैं, जिनके अन्तर्गत खजानों एवं मुद्रा तिजोरियों के नकदी प्रेषण तथा विभिन्न लेखा परिमण्डलों के लेखों के लेन–देन लेखांकित किए जाते हैं। इन मदों में दर्ज प्रारम्भिक डेबिट्स तथा क्रेडिट्स का शोधन अन्ततः उसी लेखा परिमण्डल में या किसी अन्य लेखा परिमण्डल में अन्य मदों में दर्ज क्रेडिट्स व डेबिट्स तदनुरूपी प्राप्तियों या अदायगियों द्वारा किया जाता है।

उक्त समस्त शीर्षों से संबंधित स्पष्टीकारक टिप्पणियाँ प्रत्येक मद के नीचे संक्षेप में दी गई हैं।

आय–व्ययक अनुमान 2014–2015

खण्डः 3ब

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	लोक ऋण	02-41
2.	कर्ज तथा उधार	43-174
3.	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	175-176
4.	आकस्मिकता निधि............	177-178
5.	लोक लेखा	179-232

लोक ऋण